



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Criminal Appeal (DB) No. 421/2025

Manohar Kathat S/o Rahim, Aged About 40 Years, R/o
Dasariya Badi Chitau, Police Station Sendra, District Beawar.
(At Present Lodged In Central Jail, Ajmer)

-----Appellant

Versus

State of Rajasthan, PP

-----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Awar Dan Ujjawal
For Respondent(s) : Mr. C.S. Ojha, P.P.

**HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR
HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA**

Judgment

1.	Date of conclusion of arguments	21.04.2026
2.	Date on which the judgment was reserved	21.04.2026
3.	Whether the full judgment or only operative part is pronounced	Full Judgment
4.	Date of Pronouncement	24.04.2026

BY THE COURT: (Per Chandra Shekhar Sharma,J)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 415 के अधीन यह अपील अपीलार्थी-अभियुक्त ने विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, बर, जिला ब्यावर के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 13/2025; राजस्थान राज्य बनाम मनोहर वगैरह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 26.11.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर निम्नप्रकार से दंडित किया :-

क्र.सं.	धारा	दंडादेश
01.	302 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड, दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
02.	201 भारतीय दंड संहिता	सात वर्ष का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

02. इस अपील के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.03.2020 को परिवादिनी सुनिता द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना सेंदड़ा, जिला पाली के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि वह परिवार के साथ गांव शाहपुरिया ढीमडी में निवास करती है। दिनांक 10.03.2020 को उसके पति मनोहर ने वक्त करीब दिन के 11:00 बजे उसकी पुत्री रवीना, उम्र 09 माह को पटक-पटककर मार दिया। इस घटना को उसकी पड़ोसी सबीरा ने खिड़की से देखा है। उसके पति ने सबूत मिटाने के लिए बेटी की लाश को काकण में दफना दिया। उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा देकर उसे और उसकी बेटी को न्याय दिलाएं.....इत्यादि।

03. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सेंदड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33/2020 पंजीबद्ध की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में आरोप-पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, तत्पश्चात् यह प्रकरण कमिट होकर विद्वान विचारण न्यायालयों क्रमशः अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण व अपर सेशन न्यायाधीश, बर में प्राप्त हुआ।

04. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बहस चार्ज सुनकर अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर अस्वीकार किया और अन्वीक्षा की मांग की।

05. दौराने अन्वीक्षा आरोपों की पुष्टि में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाहान परीक्षित हुए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.34 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। अभियुक्त का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण किया गया, जिसमें उसने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना कथन किया एवं प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपर्युक्तानुसार निर्णय व दंडादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी—अभियुक्त ने यह अपील प्रस्तुत की है।

06. हमने अपीलार्थी—अभियुक्त की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता एवं योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी, आक्षेपित निर्णय—दण्डादेश व अभिलेख का अवलोकन किया।

07. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि परिवादिनी सुनिता ने जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.24 दर्ज करवाई थी, वह अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या रूप से दर्ज करवाई गई है। वास्तविक रूप से स्वयं सुनिता, जो कि अपीलार्थी की पत्नी है, वह घर में मृतका बच्ची रवीना को गोद में लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी, तब गिर जाने के परिणामस्वरूप उसके सिर में चोट कारित हुई थी। शव का पोस्टमार्टम करने वाले गवाह की साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि मृतका रवीना के सिर पर पाई गई चोट सीढ़ियों से यदि कोई महिला गोद में लिए बच्चे को लेकर उतरते समय गिरती है, तो आना संभव है। जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू.12 संजू एवं पी.डब्ल्यू.18 सबीरा को बताया गया है, ये दोनों ही पक्षद्रोही रहे हैं। अनुसंधान के दौरान भी मृतका रवीना के खून से सने हुए कपड़े आदि न तो बरामद किए गए और न ही इस प्रकार की कोई साक्ष्य संकलित की गई, जिसका निष्कर्ष अपीलार्थी के विरुद्ध जाता हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विलम्ब से दर्ज करवाई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल भावनात्मक रूप से निष्कर्ष देकर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की है, जबकि किसी

भी आपराधिक प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का होता है। स्वयं परिवादिनी की मृत्यु हो जाने से वह विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पेश भी नहीं हो सकी है। परिवादिनी द्वारा जो कथन अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में दिए गए थे, उन्हें अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है। अपीलार्थी के विरुद्ध मृतका की लाश को दफनाने के संबंध में साक्ष्य का विलोपन करने बाबत अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता का अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित होना कहा गया है, वह भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि मृतका, जो कि 09 माह की बच्ची थी, वह अपीलार्थी की भी पुत्री थी और अंतिम संस्कार के रूप में छोटे बच्चों की लाश को जमीन में ही दफनाया जाता है। मृतका की लाश को दफनाते समय परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं है कि अपीलार्थी ने साक्ष्य का विलोपन किया हो। जब मुख्य गवाह ही पक्षद्रोही रहे हैं और हत्या का अपराध ही प्रमाणित नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता का भी प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है। फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि उक्त अपराधों में की गई है, वह न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

08. उक्त तर्कों के खंडन में विद्वान लोक अभियोजक ने यह तर्क दिए कि यह प्रकरण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित है। यद्यपि मुख्य गवाह पक्षद्रोही रहे हैं, लेकिन अनुसंधान के दौरान गवाहों के जो कथन अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए थे, उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी ने अपनी ही 09 माह की पुत्री रवीना को जमीन पर पटक कर मार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि मृतका रवीना की मृत्यु सिर की चोट की वजह से हुई थी और मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी.23 के अनुसार भी मृत्यु का कारण सिर में आंतरिक रक्त स्राव (Internal Bleeding) था तथा यह रक्त स्राव सिर की चोट से ललाट व कनपटी के मध्य 2 गुणा 2

सेमी. का रक्त का थक्का जमा होने से मृत्यु होने की राय दी गई है। केवल परिवादिनी की मृत्यु हो जाने से उसके न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण ही अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह नहीं किया जा सकता। क्योंकि परिवादिनी सुनिता द्वारा प्रदर्श पी.29 में जो कथन अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में किए गए हैं, उनसे भी घटना की पुष्टि होती है। परिणामस्वरूप उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि कायम की गई है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से यह अपील खारिज करने का निवेदन किया।

09. हमने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में सर्वप्रथम घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी.24 अपीलार्थी की पत्नी सुनिता द्वारा दिनांक 11.03.2020 को समय 20:46 बजे दर्ज कइवाई गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.03.2020 को परिवादिनी के पति मनोहर ने वक्त करीब दिन के 11:00 बजे उसकी पुत्री रवीना उम्र 09 माह को पटक-पटककर मार दिया था और इस घटना को पड़ोसी सबीरा द्वारा खिड़की से देखा जाना कथन किया है। तत्पश्चात् अपने पति द्वारा सबूत को मिटाने के लिए बेटी की लाश को काकण में दफना देना भी उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि स्वयं परिवादिनी सुनिता ने घटना नहीं देखी थी और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह पड़ोसी सबीरा द्वारा ही घटना खिड़की से देखा जाना कथन किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित नहीं है कि परिवादिनी की पुत्री पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू ने भी घटना देखी हो। साक्ष्य के दौरान पी.डब्ल्यू.18 सबीरा पक्षद्रोही रही। इसने यह भी कहा कि वह मनोहर काठात की लड़की रवीना को नहीं जानती है। वह मनोहर काठात के घर पर कभी नहीं गई और न ही उसने उसके घर पर किसी प्रकार की कोई घटना देखी। पक्षद्रोही होने के पश्चात् इसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.34 का ए से बी भाग का बयान पुलिस को नहीं देना बताया। यह भी कहा कि उसने मनोहर काठात के घर पर किसी प्रकार की कोई घटना या वारदात नहीं देखी। इस प्रकार प्रदर्श पी.24 रिपोर्ट में जिस एकमात्र गवाह द्वारा घटना देखा जाना परिवादिनी ने बताया था,

उसने विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान इसका समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुमारी संजू द्वारा घटना देखी गई थी। पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू भी विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान पक्षद्रोही रही। प्रतिपरीक्षण के दौरान इसने इस बात को सही बताया कि उसकी मम्मी सुनिता जब इसकी बहन रवीना को छत से लेकर आ रही थी, तभी सीढ़ियों से गिरी थी, तब रवीना उसकी मम्मी के नीचे दब गई थी। इस गवाह से न्यायालय द्वारा यह प्रश्न किया गया कि— **आपकी बहिन रवीना सीढ़ियों से गिरी तब समय क्या था ?** इसके उत्तर में गवाह ने बताया कि— **समय का मुझे पता नहीं। सूरज निकला हुआ था तथा मैं नीचे बैठी हुई थी।** पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू के बयानों में उसके कथन लेखबद्ध करते समय उम्र 08 वर्ष अंकित है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसके धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध कथन प्रदर्श 20 पर भी विश्वास किया गया है। इस संबंध में पी.डब्ल्यू.12 संजू ने अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण करते समय यह भी कहा कि उसने न्यायालय में प्रदर्श पी.20 में हुए बयान नहीं दिए थे और इस बात को भी गलत बताया कि वह अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए आज न्यायालय में झूठे बयान दे रही है एवं न्यायालय में हुए बयान प्रदर्श पी.20 का ए से बी भाग के बयान नहीं देना कथन किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस गवाह की साक्ष्य का विवेचन करते हुए स्वयं इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि गवाह ने यह कहा था कि— **ऐसे बयान देने से मेरे पापा जेल से छूट जायेंगे।** ऐसे में जिस रूप में उक्त कथन का उल्लेख विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया है, इस बाबत् भी पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू के मुख्य परीक्षण में दिए गए कथनों में यह आया है कि— **मेरे बयान देने से मेरे पापा जेल से छूट जायेंगे।** इस प्रकार 'ऐसे बयान' के स्थान पर गवाह ने 'मेरे बयान' बाबत् कहा था। इसके अतिरिक्त भी पक्षद्रोही होने के पश्चात् जब न्यायालय ने इससे प्रश्न किया कि जब आपकी बहिन रवीना सीढ़ियों से गिरी तब समय क्या था ? इसके उत्तर में गवाह का कहना था कि उस समय सूरज निकला हुआ था और वह नीचे बैठी हुई थी। प्रदर्श

पी.24 रिपोर्ट में भी घटना का समय दिन के 11:00 बजे का बताया गया है। जिस समय प्रदर्श पी.20 कथन अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के लेखबद्ध हुए थे, उस वक्त उसकी उम्र 04 वर्ष थी और विचारण न्यायालय के समक्ष भी कथन करते समय इसकी आयु 08 वर्ष बताई गई है। इसके बावजूद भी गवाह ने स्वाभाविक रूप से न्यायालय द्वारा प्रश्न करने पर भी घटना के समय के बारे में पता नहीं होते हुए भी उस वक्त सूरज निकला हुआ होना और प्रदर्श पी.20 बयान भी पूर्व में नहीं देने की बात कही। इसकी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि इसके पिताजी के भी कोई भाई-बहन नहीं हैं और मम्मी की भी मृत्यु हो रखी है। संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से ऐसा नहीं पाया जाता है कि गवाह को सिखाया जाकर इससे गलत कथन करवाए गए हों, विशेषकर जब न्यायालय द्वारा भी इसकी सत्यता परखने के लिए प्रश्न भी किया गया था।

10. विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.07.2024 के अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि प्रकरण की परिवादिनी सुनिता की मृत्यु हो जाने से वह विचारण के दौरान साक्ष्य में पेश नहीं हो सकी थी। ऐसी स्थिति में विद्वान लोक अभियोजक का यह कहना है कि इसके द्वारा जो पूर्व में प्रदर्श पी.29 कथन किए गए थे, उसे साक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। प्रदर्श पी.29 के अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि परिवादिनी के पास सुबह 10-11 बजे इसकी बेटी संजू रोती हुई आई थी और उसने कहा था कि रवीना को मनोहर ने पटक कर मार दिया है। उसके बाद कमलेश जी व कूका जी रवीना को अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर उसने दम तोड़ दिया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत लेखबद्ध परिवादिनी के कथन प्रदर्श पी.29 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पी.डब्ल्यू.18 सबीरा ने खिड़की से यह घटना देखी हो और घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी.24 में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि परिवादिनी की लड़की संजू ने उसे रोते हुए आकर घटना के बारे में बताया हो। इस प्रकार परिवादिनी की रिपोर्ट और उसके कथन प्रदर्श पी.29 में घटना वास्तविक रूप से किसके द्वारा देखी गई, उस पर भी विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त भी स्वयं परिवादिनी विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पेश नहीं

हो सकी है। इस स्थिति में परिवादिनी के कथन प्रदर्श पी.29 को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने का जो तर्क विद्वान लोक अभियोजक ने दिया है, वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। क्योंकि किसी भी गवाह के अनुसंधान के दौरान जो कथन अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए जाते हैं, उन कथनों को खंडन अथवा पुष्टि के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। धारा 273 दंड प्रक्रिया संहिता में भी यह प्रावधान है कि विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य ली जानी चाहिए, जो कि नैसर्गिक न्याय का हिस्सा भी है, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को संबंधित गवाह से प्रतिपरीक्षण का अवसर भी प्राप्त होता है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **Baij Nath Sah v. State of Bihar; Criminal Appeal No. 1475 of 2003** में निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :-

"We have heard the learned counsel for the parties and have gone through the record. We see from the judgments of the Courts below that the only material that has been used against the appellant is the statement under Sec.164 of the Cr.P.C. This Court in Ram Kishan Singh vs. Harmit Kaur and Another ((1972) 3 SCC 280) has held that a statement of 164 Cr.P.C. is not substantive evidence and can be utilized only to corroborate or contradict the witness vis-a-vis. statement made in Court. In other words, it can be only utilized only as a previous statement and nothing more. We see from the record that Suman Kumari was not produced as a witness as she had since been married in Nepal and her husband had refused to let her return to India for the evidence. In this light her statement under Section 164 cannot be used against the appellant."

इस प्रकार उपर्युक्त स्थिति में जो प्रदर्श पी.20 व प्रदर्श पी.29 धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध कथन साक्ष्य में ग्रहण किए जाने

हेतु विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, वे उसी अनुरूप स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और न ही इन कथनों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की जा सकती है।

12. मृतका रवीना के शव का पोस्टमार्टम करने वाले गवाह पी.डब्ल्यू.13 डॉक्टर ललित कुमार ने पोस्टमार्टम करने के पश्चात् इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.22 व प्रदर्श पी.23 देते हुए, इनके ए से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताए और मृतका की मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट की वजह से शॉक में जाने से होना पाया जाना कथन किया। पोस्टमार्टम करते समय इस गवाह के साथ पी.डब्ल्यू.14 डॉक्टर विपुल भी सम्मिलित होने से, गवाह पी.डब्ल्यू.14 ने भी इस गवाह के कथनों का समर्थन किया है। पी.डब्ल्यू.13 डॉक्टर ललित कुमार ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि माँ अगर अपने बच्चे को सीने से लगाकर सीढ़ियों से उतरते समय गिरे तो उक्त (पोस्टमार्ट रिपोर्ट में वर्णित) मल्टीपल चोट आना संभव है, लेकिन आंतरिक रक्तस्राव होना संभव नहीं है। आंतरिक रक्तस्राव एक ही स्थान पर बार—बार बलपूर्वक चोट लगे तो होना संभव है। इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.22 में भाग सी से डी में मृत्यु का कारण ड्यू टू हेड इंजरी अंकित है, इसमें आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु होना अंकित नहीं है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की व मृत्यु का कारण भाग सी से डी संपूर्ण परीक्षण के बाद ही अंकित किया था, जिसमें आंतरिक रक्तस्राव होने का अंकन नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने यह तो स्वीकार कर लिया कि अगर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सीढ़ियों से उतरते समय गिरे तो उक्त चोटें आना संभव है, परन्तु उसने साथ ही यह भी कह दिया कि जिस प्रकार का आंतरिक रक्तस्राव था, वह संभव नहीं था। इस गवाह के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी.22 में आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु होना भी अंकित नहीं था। पोस्टमार्टम करते समय इसके साथ उपस्थित मेडिकल बोर्ड का सदस्य पी.डब्ल्यू.14 डॉक्टर विपुल प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हो और सीढ़ियों से नीचे गिर जाये तो उक्त सभी (पोस्टमार्टम

रिपोर्ट में वर्णित) चोटें आना संभव है। इस गवाह ने पी.डब्ल्यू.13 डॉक्टर ललित द्वारा आंतरिक रक्तस्राव बाबत जो संभावना प्रकट की गई थी, उसके बारे में नहीं कहा है। इस प्रकार इन दोनों ही गवाहों ने अपने कथनों में इस बात की भी संभावना प्रकट की, कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को लेकर सीढ़ियों से उतरते समय गिर जाती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित चोटें आना संभव हैं।

13. पी.डब्ल्यू.16 अनुसंधान अधिकारी प्रेमराम एवं पी.डब्ल्यू.15 सज्जन कुमार की साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी ने अपनी सूचना के आधार पर जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी, उस स्थान की प्रदर्श पी.18 के द्वारा एवं जहां शव को गाड़ा गया था, उस स्थान की प्रदर्श पी.19 के द्वारा तस्दीक करवाई थी। लेकिन उक्त दोनों ही गवाहों द्वारा दी गई साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि इन स्थानों को पूर्व में ही प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.03 के तहत अनुसंधान अधिकारी द्वारा देखा जा चुका था। इस स्थिति में केवल अपीलार्थी की सूचना के आधार पर प्रदर्श पी.18 व प्रदर्श पी.19 के तहत मौके की जो तस्दीक कराना कथन किया गया है, इसका साक्ष्य में कोई महत्व नहीं रह जाता है।

14. अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता के संबंध में भी विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के अतिरिक्त इस प्रकरण में सहअभियुक्तगण के रूप में क्रमशः सोहन, कमलेश व सुरेन्द्र सिंह उर्फ कूका के विरुद्ध भी अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता का ही आरोप था, लेकिन उक्त तीनों ही सहअभियुक्तगण को इस अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया था। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.16 प्रेमराम व पी.डब्ल्यू.17 भंवर लाल की साक्ष्य के अनुसार जिस स्थान पर मृतका रवीना की लाश को गाड़ा गया था, वहां से पुनः निकालकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। इसी संदर्भ में भी फर्द प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.03 बनाई गई थी। उक्त तीनों ही फर्द बनाते समय जो स्वतंत्र मौतबीर गवाह थे, उनमें से पी.डब्ल्यू.01 साबुदीन साक्ष्य

में यह तो कहता है कि पुलिस और एस.डी.एम. साहब आए हुए थे और गाँववाले कोई हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, तो पुलिस के कहने से इसने हस्ताक्षर किए थे। इसके सामने गड़ी हुई लाश को नहीं निकाला था और प्रदर्श पी.01 से लगाकर प्रदर्श पी.06 इसके सामने तैयार नहीं की थी। पी.डब्ल्यू.07 शकरू पक्षद्रोही रहा है। वैसे भी जब प्रदर्श पी.24 रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ था, उस स्थिति में ही जिस स्थान पर मृतका की लाश को दफनाया गया था, वहां से निकालकर ही अनुसंधान के दौरान उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था और यह स्थिति अनुसंधान की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इस स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी ने आशयपूर्वक अपराध की साक्ष्य को मिटाने के लिए ही चुपचाप लाश को दफनाया हो। क्योंकि सर्वप्रथम प्रदर्श पी.24 रिपोर्ट में परिवादिनी सुनिता ने यह उल्लेख तो कर दिया कि उसके पति ने सबूत मिटाने के लिए उसकी बेटी की लाश को काकण में दफना दिया, लेकिन यह गवाह विचारण के दौरान साक्ष्य में पेश भी नहीं हो सकी। इसके जो कथन अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदर्श पी.29 दर्ज हुए थे, जिनमें उसके द्वारा प्रदर्श पी.24 रिपोर्ट में उल्लेखित अनुसार उक्त बात नहीं कही है, बल्कि इन कथनों में कमलेश और कूका द्वारा रवीना को अस्पताल लेकर जाना, जहां दम तोड़ देना कथन किया गया है। पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन प्रदर्श पी.20 में भी इस स्थिति बाबत कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्रदर्श पी.24 रिपोर्ट की पुस्त पर जो सी से डी भाग में पुलिस द्वारा इंद्राज किया गया था, इसमें यह तथ्य आया है कि परिवादिनी स्वयं अपनी पुत्री को अपने देवर कूकाजी, सोनू जी व एक अन्य के साथ ब्यावर अस्पताल लेकर गई थी, जहां इलाज के बाद पुत्री की मृत्यु हो जाने पर पुत्री की लाश को ये सभी वापस घर लेकर आ गए थे, उसके बाद मनोहर ने पुत्री की लाश को दफनाया था। इस प्रकार इस स्थिति में यह तो स्पष्ट था कि लाश को दफनाते समय अपीलार्थी अकेला नहीं था, बल्कि परिवार के नजदीकी सभी रिश्तेदार भी थे और इसी कारण साक्ष्य के आधार पर परिवादिनी के देवर अर्थात् सहअभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ कूका और

अन्य सहअभियुक्त कमलेश काठात और सोहन के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता का प्रमाणित नहीं होने से ही उनको दोषमुक्त किया गया था और यही समान प्रकृति की साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध भी थी। जबकि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि मुख्य अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता का भी अपीलार्थी के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। क्योंकि स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू.18 सबीरा व पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू पक्षद्रोही रहीं और इन गवाहों की साक्ष्य के अनुसार परिवादिनी जब गोद में अपनी 09 माह की छोटी बच्ची को लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी, तो गिर जाने की वजह से उसके चोटें आई थीं। इस स्थिति में जहां एक 09 माह की छोटी बच्ची की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के तहत यदि उसकी लाश को दफनाया भी गया था, तो केवल इसी आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी ने अपने द्वारा किए गए अपराध को छिपाने की नियत से ही ऐसा कृत्य किया हो। इस स्थिति में अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता का भी प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. अभिलेख पर आए तथ्य व परिस्थितियों के अनुसार अपीलार्थी इसी प्रकरण की परिवादिनी सुनिता का पति है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य में कहीं भी यह प्रकट नहीं किया गया कि वह घटना के समय मकान पर ही था और इसी कारण से ही घर के अंदर घटना घटित होने से उसके द्वारा अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक था। यद्यपि अपीलार्थी ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में स्वयं का निर्दोष होना और झूठा फंसाया जाना कथन किया गया है, जबकि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.16 प्रेमराम, प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त मनोहर व परिवादिनी सुनिता, दोनों ही अनाथ हैं और इसने घटनास्थल प्रदर्श पी.01 में सीढ़ियों का मौका नहीं देखा था। यह भी स्वीकार करता है कि परिवादिनी अपने पति के घर पर बच्चों के साथ अकेली रहती थी। अतः इस स्थिति में केवल धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के

तहत अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा ही अपराध कारित किया गया हो। विशेषकर इस स्थिति में जबकि इस प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों सहित अन्य साक्ष्य से भी अपराध की पुष्टि नहीं हुई थी। इस प्रकार इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष पर अपने प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने का जो प्रारंभिक भार था, वह उसी अनुरूप उनके द्वारा साबित नहीं कराया जा सका है। इस स्थिति में धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने मात्र से ही उसके विरुद्ध उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय

Jagdish Gond v. The State of Chhattisgarh and Ors.; 2025

INSC 460 के पैरा संख्या 09 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :—

"9. We cannot also agree with the finding of the High Court regarding the effect of Section 106, placing reliance on the decision of this Court in **Trimukh Maroti Kirkan v. State of Maharashtra**. The said decision is an authority for the principle that when an accused is alleged to have committed the murder of his wife; if the prosecution establishes that shortly before the crime, they were seen together or the offence takes place in the dwelling home where the husband also resides, then if the accused does not offer any explanation or offers an explanation which is palpably false; that would be a strong circumstance, establishing his culpability in the crime. However, it cannot be the sole circumstance leading to the conclusion of guilt on the part of the accused husband. ..."

16. इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **Ravi v.**

The State of Punjab; 2025 INSC 170 के पैरा संख्या 21 व 22 में भी

निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :—

"21. The above argument may appear to be of some substance but if we look into the law deeply, we would find that the initial burden is upon the prosecution to first prima facie establish the guilt of the accused and then only the burden shifts upon the accused to explain the circumstances as contemplated by Section 106 of the Evidence Act.

22. ... The ordinary rule which applies to criminal trials and places the onus on the prosecution to prove the guilt of the accused, does not, in any way, stand modified by the provisions contained under Section 106 of the Evidence Act. The said provision cannot be invoked to make up the inability of the prosecution to produce the evidence of circumstances pointing to the guilt of the accused. The said provision cannot be used to support a conviction unless the prosecution has discharged the onus by proving all elements necessary to establish the offence. In other words, the prosecution does not stand absolved from its initial liability to prove the offence and it is only when such an onus is discharged and a prima facie case of guilt is made out that the provisions of Section 106 of the Evidence Act may come into play."

इस प्रकार धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने के आधार पर ही उसके विरुद्ध दोषसिद्धि नहीं की जा सकती थी। फिर भी उपर्युक्त संपूर्ण स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में जो दोषसिद्धि की गई है, वह न्यायोचित नहीं पाई जाती है।

17. इस प्रकरण में मृतका रवीना के शव का परीक्षण करते हुए उसके विसराज को भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित करने पर वहां से रिपोर्ट प्रदर्श पी.32 प्राप्त हुई थी, लेकिन यह रिपोर्ट नकारात्मक थी। वैसे भी इस रिपोर्ट का

इस प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों में साक्ष्य का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.16 प्रेमराम की साक्ष्य के अनुसार इसने मृतका के कोई कपड़े जब्त नहीं किए और इसके अतिरिक्त अभियुक्त से भी किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई थी, न ही उसके कपड़े लिए गए थे। जहां का घटनास्थल बताया गया है, वहां से भी कोई खून आलुदा मिट्टी जब्त नहीं की गई। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जो नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 बनाया गया था, इसमें भी मार्क 'एक्स' स्थान को घटनास्थल दर्शाया गया है, वहां पर भी कोई आलामात नजर नहीं आ रहे थे, न ही कोई चीज कब्जा पुलिस भी ली गई थी। अनुसंधान अधिकारी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई भी जांच रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली में मौजूद नहीं है।

18. उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिवादिनी सुनिता, जिसके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी.24 दर्ज करवाई गई थी, वह विचारण न्यायालय के समक्ष मृत्यु हो जाने से बतौर गवाह पेश नहीं हो सकी है। इस स्थिति में उसके द्वारा जो कथन प्रदर्श पी.29 अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के किए गए थे, वह साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते थे और परिवादिनी की रिपोर्ट प्रदर्श पी.24 एवं प्रदर्श पी.29 के आपसी कथनों में भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह बाबत विरोधाभास होना प्रकट हुआ है। मौके के जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू.12 कुमारी संजू व पी.डब्ल्यू.18 सबीरा बताए गए हैं, ये दोनों ही पक्षद्रोही रहे हैं और इन्होंने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है। परिवादिनी द्वारा मृतका को गोद में लेकर सीढ़ियों से उतरते समय गिर जाने से संबंधित जो कथन गवाहों द्वारा किए गए हैं, उनकी पुष्टि पोस्टमार्टम करने वाले गवाह क्रमशः पी.डब्ल्यू.13 डॉक्टर ललित कुमार व पी.डब्ल्यू.14 डॉक्टर विपुल द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई इस साक्ष्य से भी होती है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हो और गिर जाए तो मृतका की चोटें आना संभव है। घटनास्थल पर किसी प्रकार के आलामात भी नहीं पाए गए थे। इस प्रकार अभिलेख पर आई

संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में जो दोषसिद्धि की गई है, वह न्यायोचित नहीं पाई जाती है।

19. अतः उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य की परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के आरोप में जो दोषसिद्धि की गई है, वह अभिलेख के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए सही नहीं पाए जाने से अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दंडादेश दिनांक 26.11.2025 में की गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपीलार्थी मनोहर काठात की सीमा तक अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी मनोहर काठात को धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, अगर उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे नियमानुसार तुरंत रिहा कर दिया जाए।

20. अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 437-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 50,000 रुपये की राशि की जमानत एवं इसी राशि का मुचलका 06 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ प्रस्तुत करें कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध अपील होती है, तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाएगा।

इस आदेश की एक प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

(VINIT KUMAR MATHUR),J